

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2609] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 2018/आषाढ़ 18, 1940 No. 2609] NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 2018/ASHADHA 18, 1940

#### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2018

का.आ. 3363(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा:

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपित्त या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

#### प्रारूप अधिसूचना

श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाटों के अंतर्गत आने वाले विरुधुनगर और मदुरई राजस्व जिलों के अक्षांश 09° 23' 37.77" से 09° 47' 48.74" उ और देशांतर 77° 20' 24.68" से 77° 47' 17.50" पू के तिमलनाडु राज्य के बीच स्थित है। इस क्षेत्र को कुल क्षेत्र 476.65 वर्ग किलोमीटर के साथ जी.ओ. एमएस. 399 में पर्यावरण और वन (एफआर.वी) दिनांक 26-12-1988 को अभयारण्य घोषित किया गया था, जिसमें श्रीविल्लीपुथुर में अभयारण्य मुख्यालय के साथ विरुधुनगर जिला के राजापलयाम और श्रीविल्लीपुथुर तालुक में रिजर्व वन और मदुरई जिला के पेराईयुर तालुक में सपतुर रिजर्व वन शामिल है।

और, श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य जैव विविधता भू-दृश्य के दो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। यह पेरियार हाथी रिजर्व में हाथी संरक्षण कार्यक्रम के लिए

3927 GI/2018 (1)

महत्वपूर्ण भू-दृश्य है। इस वन्यजीव अभयारण्य से जुड़े हुए आसपास के संरक्षित क्षेत्रों और बृह्त समीप वनों में लुप्तप्राय प्रजातियों की विविध विविधता जैसे ग्रिज़्लड गिलहरी, हाथी, बाघ, तेंदुआ, नीलगिरी ताहर, गौर, शेर पूंछ मैकक आदि हैं। पर्यावास की विविधता दुर्लभ पौधों, अकेशरूकी, मछलियों, उभयचरों और सरीसृपों की कई प्रजातियों का एक संग्रह है। श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य में स्थानिक वनस्पति और जीवजन्तु की कई प्रजातियां हैं।

- और, श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य में विभिन्न वन पर्यावास जैसे कंटीले वन, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, अर्ध सदाबहार, तटवर्ती वन, घासभूमि पर्यावास और सदाबहार वन पर्यावास शामिल हैं। अभयारण्य के पश्चिमी से पूर्वी भाग तक विभिन्न प्रकार के पर्यावास देखे जाते हैं। यहाँ पश्चिम से पूर्व में वर्षा ढाल है और वनस्पति में परिवर्तन वर्षा ढाल के परिणामस्वरूप माना जाता है। इस अभयारण्य का पूर्वी भाग पश्चिमी घाटों के वर्षा छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में शुष्क कंटीले वन है और वनस्पति प्रकार धीरे-धीरे शुष्क कंटीले वन से मिश्रित आर्द्र वन में बदलती हैं।
- और, अभयारण्य में वनस्पित और जीवजन्तुओं की व्यापक विविधता है। वनस्पित के उदाहरण कुंडुमानी (एब्रस प्रेसकेटोरियस एल.), सिरुथुथी (अबुटिलन क्रिस्पम (एल.) मेडिकस), थुथि (अबुतिलॉन इंडिकम (लिंक) स्वीट.), कारी इंड्र (अकाकिया इन्ट्सिया डब्ल्यू एंड एं), करुवेलम (अकाकिया निलोटीका (एल.) वाइल्ड एक्स डीलाईट), सिलावागाई (अकाकिया सुंदरां), एनकाई (इंदु) (अकाकिया टोकटां) आदि और जीवजन्तु के उदाहरण नीलगिरी तहर (हेमित्रगस हीलोक्रियस), ग्रिज़ल्ड जियंट गिलहरी (रतुफा मैकौरां), मालाबार जियंट गिलहरी (रतुफा इंडिकां), एशियाई हाथी (एलिफास मैक्सिमस), गौर (बॉस फ्रोंटालिस), चितल (एक्सिस एक्सिस), सांबर (सर्वस यूनिकोलर), बार्किंग हिरण (मुन्टिसक मुंटजैक), माउस डियर (मोस्कोला मेमित्रां), सियार (कैनिस ऑरियस) आदि हैं।
- और, एवियन विविधता व्यापक और विविध है, दिसंबर 2012 के दौरान पहले सर्वेक्षण में 61 परिवारों के पिक्षयों की 220 प्रजातियों की पहचान की गई थी और मई 2015 के सर्वेक्षण के दौरान 27 प्रजातियों को जोड़ा गया था। विशिष्ट प्रजातियां दुर्लभ सिलोन फ्रॉगमाउथ हैं, अब तक केरल के कुछ भागों में थट्टेकड, यलो थ्रोटेड बुल बुल को अब तक पूर्वी घाट विशिष्ट, मालाबार ट्रोगन और भारतीय कुकू है, रैप्टरों की उन्नीस प्रजातियों का संभावित पर्यावास दर्शाता है, जो कि रूफुस बेलीड हॉक ईगल और माउंटेन हॉक ईगल को देखकर रेखांकित किया जाता है।
- **और,** अभयारण्य में पिक्षयों के कुछ उदाहरण जैसे ग्रे फ्रैंकोलिन (फ़्रैंकोलिनस पांडिसेरियनस), जंगल बुश क्वाइल (पेर्डिकुला एशियाटिका), रेड स्पुरफाँउल (गैलोपर्डिक्स स्पैडिसिया), ग्रे जंगलफाँउल (गैलस सोननेरती), इंडियन पीफाँल (पावो क्रिस्टेटस), लेसर व्हिस्लिंग टील (डेंड्रोसायग्रा जावनिका), बार-हेड गुज़ (एंसेर इंडिकस), ब्राह्निनी डक (ताडोर्न फेरुगिनिया), स्पॉट-बिल डक (अनास बोसिलोरिंका) आदि अभिलिखित हैं।
- और, श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य में तितिलियों की अत्यधिक संख्या है। यहां तितिलियों का पाया जाना सामान्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और विशेष रूप से सूक्ष्म पर्यावास का सूचक है। श्रीविल्लीपुथुर वन्यजीव संभाग का इस पैमाने पर उच्च स्तर है क्योंकि हाल के अध्ययनों ने तितिलयों की लगभग 190 प्रजातियों की खोज की है, जो तिमलनाडु में अभिलिखित संख्याओं में से आधे से अधिक है। इस अभयारण्य में कॉमन ब्लू बॉट्टल (ग्राफ़ियम सरपेडोन), कॉमन जय (ग्राफियम डोसोन), टेल्ड जय (ग्राफियम एग्मेमॉन), सॉट स्वोरडटेल (ग्राफ़ियम नोमियस), कॉमन माइम (पैपिलीओ क्लिटिया), कॉमन मॉर्मन (पैपिलीओ पॉलीट्स) आदि तितिलियां पाई जाती हैं।
- और, अभयारण्य से लगभग 90 सरीसृपों प्रजातियां सूचीबद्ध की गई हैं। यहां पायथन, सैण्ड बोआ, कुकरी, कैट स्नेक, वाइन स्नेक आदि जैसे जहर-रहित, और सांप कोपरा, सांप, करैत आदि जहरीली सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं। अभयारण्य में भारत के स्थानिक और संकटापन्न प्रजातियों में स्टार टोरटोइस पाया जाता है। केरल राज्य की सीमा के निकट देवीर क्षेत्र से ऊपर अत्यधिक लुप्तप्राय वृक्ष प्रजातियों में यूजीनिया डिस्फेफेरा अभिलिखित की गई है। अभयारण्य में विद्यमान असुरक्षित प्रजातियों में वेगोनिया अल्बो-कोकेनिया हुक, कमेलिना इंडेस्किन्स ई. बार्न्स, इक्सोरा मॉन्टिकोला गैंबल, क्लोरोक्साइलॉन स्विटिनिया डीसी. और पेट्रोकार्पस मर्सुपियम रोक्सब आदि शामिल हैं।
- और, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले अधिकांश ग्रामों में आवासीय क्षेत्रों को पारिस्थितिकी संवेदी जोन से ध्यानपूर्वक अपवर्जित किया जाता है। हालांकि, जनजातीय ग्रामों (शेनबागाथोप्पु, अय्यानारकोयल, अथिकोयल, विनोबानगर, थानीपराई और मोक्काथानपराई) के आवासीय क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत स्थित हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कुल जनसंख्या 608 है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में रहने वाले लोगों के लिए पशु पालन, कुक्कुट पालन जैसे कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोत हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिमलनाडु राज्य में श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 किलोमीटर (अंतरराज्यीय सीमा के कारण) से 6.2 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 किलोमीटर (अंतरराज्यीय सीमा के कारण) से 6.2 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 305.86 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-।** के रूप में संलग्न है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध ॥ क-ड**. में है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमश: उपाबंध III (क) और(ख) में है।
- (5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--
  - (i) पर्यावरण;
  - (ii) वन और वन्यजीव;
  - (iii) कृषि;
  - (iv) राजसव:
  - (v) शहरी विकास;
  - (vi) पर्यटन;
  - (vii) ग्रामीण विकास:
  - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
  - (ix) नगरपालिका;
  - (x) पंचायती राज;
  - (xi) लोक निर्माण विभाग;
  - (xii) राजमार्ग;
  - (xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरिहत और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।
- (7) आंचिलक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**.—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात:--
- (1) **भू-उपयोग** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:
- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।
- (ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।
- (घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

- (ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।
- (च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।
- (2) **प्राकृतिक जल स्रोत** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/निदयों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाऐंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।
- (3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
- (घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-
  - (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सिन्नर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।
  - (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।
  - (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) **प्राकृतिक विरासत** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्वनि प्रदूषण** तमिलनाडु राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

- (8) **बहिस्राव का निस्सारण** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.िन 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **सड़क-यातायात:** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (15) **वाहन जिनत प्रदूषण:-** वाहन जिनत प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:
  - (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

- (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।
- (18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी		
(1)	(2)		(3)	
		क. प्रति	षिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।		
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्विन आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकार उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कि गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापन होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिय जाएगा।		
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू वि	वेधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।	
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू वि	वेधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।	
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू वि	वेधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।	
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।		
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।		
	ख.विनियमित क्रियाकलाप			
8.	होटलों और रिसोर्टो की वाणिज्यिक स्थापन	ना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर	

निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुवात न होगी।  परंतु, संरक्षित क्षेत्र की गीमा से 1.0 किलोमीटर के बाहर पारिस्थितिकी संबेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक ति हो, गभी नए परंटन क्षित्राकलाप करने या विद्यमान क्षित्राकलाप विस्तार परंटन महायोजना और लागू दिशानिदेंशों के अनुसार अनुज होगी।  श. संनिर्माण कियाकलाप।  (क) संक्षित क्षेत्र की गीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर पारिस्थितिकी संबेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक कि हो, किसी भी नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुजा नहीं होगी:  (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी अवास सम्बन्धी निप्तिषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, गैरा 6 के उप पैरा (1) में सुचींद क्षित्राकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उ विधियों के अनुसार, सिर्माण करने की अनुजा होगी:  (i) विद्यमान सहजे को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सहकों को सीनेर्माण करना;  (ii) युनियादी डांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण श्रीकरण के अनुसार गैर - प्रदृषणकारी लघु उद्योगों स्थापना;  (iii) परवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदृष्ण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए वर्गाकरण लागू नियमों और विनियमी, यदि कोई हो, के अनु- सक्षम माधिकारी की एवं अनुमति से विनियमीत किए जाएंगे और रयुनतम होंगे।  (प) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुर विनिर्यमित होंगे।  (प) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुर विनिर्मित्र होंगे।  (प) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुर विनिर्मित्र होंगे।  (क) गण्य क्षित्र संवरी प्रदृष्ण नियंत्रण वोर्ड द्वारा जारी उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार रीन्द्रप्रचुलानी या कृषि आधारित उद्यो जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामधियों से उत्याद बनाते सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुवात होंगे।  (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सनुपाद के विना मुमि या राक्तार कृषी या राज्य कुष्ति राज्य के अधिनियमों और उ			
पारिस्थितिकी संवेदी बोन की सीमा तक, इनमें बो भी अधिक नि हो, सभी नए पर्यटन क्षियाकलाप करने या विद्यमान क्षियाकलापों क्षित्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिवेंशों के अनुमार अनुज होगी।  9. संनिर्माण क्षियाकलाप।  (क) संन्धित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक नि हो, किसी भी नये वाणिव्यक सनिर्माण की अनुजा नहीं होगी:  (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निक्सिति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप पेरा (1) में भूतीव क्षियां का अनुसार, संनिर्माण करने की अनुजा होगी:-  (i) विद्यमान सक्रकों को सीहा करना, उन्हें पुबुड करना और नई सक्षकों को सनिर्माण करने की अनुजा होगी:-  (ii) बुनियादी डांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण व नवीकरण करना;  (iii) क्षानियादी डांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण व नवीकरण करना;  (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषणकारों लखु उद्योगों, स्थापना;  (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, मुविधा भण्डारों और स्थापना;  (v) इस अधिसुचना में सूचीबद्ध बहावा दिए गए क्रियाकलाप।  (ग) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लखु उद्योगों से संबंधित संनियम क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमित किए जाएंगे और स्थापना प्रथिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और स्थापना होंगे।  (श) गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग विधा अपरिसंकटमय र और सेवा उद्योग, कृषि, पुण्य कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्यो वोधिकराय के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय र और सेवा उद्योग, कृषि, पुण्य कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्यो वोधा परिस्वितिकी संवेदी जोन से देशी सामिय्रयों से उत्याद बनाते असम प्रधिकारी द्वारा अनुवात होंगे।  (क) राज्य सरकार के सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुसित के विना पूर्मि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या संविष्ठित की पूर्व अनुसित के विना पूर्मि या सरकार के सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुसित के विना पूर्म या सरकार के सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुसित के विना पूर्म या सरकार के सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुसित के विना पूर्म या सरकार के सक्षम प्रधिकार के अधिनयमों और उ			निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं
विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज होंगी     (क) संस्थित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर पारिस्थितिकी संबेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक ति हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुजा नहीं होगी:   (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी अवास सम्बन्धी निम्नलिरि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, नैरा 6 के उग भैरा (1) में सूचीत कियाकलाणों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन विश्वयों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुजा होगी:-   (ग) विद्यमान सकृष्ठों को चीड़ा करना, उन्हें युद्द करना और नई सकृष्ठों को संनिर्माण करना;   (ग) विद्यमान सकृष्ठों को चीड़ा करना, उन्हें युद्द करना और नई सकृष्ठों को संनिर्माण करना;   (ग) कृतियादी डाजों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण अन्तिकरण करना;   (ग) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदृष्ण नियंत्रण वोई द्वारा किए विद्यापना;   (ग) ग्रामण उद्योगों सहित कृटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और श्रवास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधा की व्यवस्था; और   (श) ग्रामण उद्योगों सहित कृटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और श्रवास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधा की व्यवस्था; और   (श) उस अधिसृचना में सूचीबद्ध बद्धावा दिए गए क्रियाकलाय ।   (ग) परन्तु गैर-प्रदृष्णकारी लघु उद्योगों से संबंधित सिम्मक कियाकलाय लागू निवमों और विनियमित किए आएगे और स्थूनतम होंगे ।   (श) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुव्यत्तम होंगे ।   (श) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुव्यत्तम होंगे ।   (श) 1.0 किलोमीटर से अगे ये आंचलिक प्रदाय व्यत्तात उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार तैं रेप्यू सामित्रीय उद्योग तथा अपरिसंक्टमय र और वेपा उद्योग, कृपि, द्वापानी या कृष्टी आधारित उद्योग स्थितिकी संबेदी जोन से देशी सामित्रीय अपरित उद्योग सामित्रीय से उत्याद वनाते सक्षम प्रधिकारी संबेदी तोन से देशी सामित्रीय के उत्याद वनाते सक्षम प्रधिकारी को तथी तोन से देशी सामित्रीय के उत्याद वनाते सक्षम प्रधिकारी को तथी वान से देशी सामित्री से उत्याद वनाते सक्षम प्रधिकारी को तथी वान से देशी सामित्रीय के उत्याद वनाते सक्षम प्रधिकारी की पूर्य या संबंधित राज्य क्षेत्र के अधिनियमों और उर्श कृत्या कृति होंगे ।   (श) वृद्ध की कृत्यो के सिष्य सामित्रीय से अधिनयमों और उर्श कृत्यो के कृत्यो क			परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट
पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक नि हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुजा नहीं होगी:  (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नित्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीव क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उ विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुजा होगी:- (i) विद्यामा सहकों को चौहा करना, उन्हें सुद्द करना और नई सहकों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण अ नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए व वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों, स्विधा भण्डारों और ग्र यास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधा की व्यवस्था; और (v) इस अधिसुचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप (ग) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संविधित संनिम क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुस्त्रम होंगे। (श) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुस्त्रम होंगे। (श) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुस्त्रम होंगे। (श) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुस्त्रम होंगे। (श) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुस्त्रम होंगे। (श) 1.0 किलोमीटर से आगे से अंचलिक महायोजना के अनुस्त्रम होंगे। (श) 1.0 किलोमीटर से आगे से अंचलिक महायोजना के अनुस्त्रम होंगे। (श) 1.0 किलोमीटर से आगे से अंचलिक महायोजना के अनुस्त्रम होंगे। (श) 1.0 किलोमीटर से आगे से अंचलिक महायोजना के अनुस्त्रम होंगे। (श) 1.0 किलोमीटर से आगे से अंग त्रमा अपि आधारित उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपि आधारित उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी की पूर्ज अनुमति के विना भूमि पा स्वार अनुमत के सिम प्राप्ति का संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते सक्षम प्राधिकारी की पूर्ज अनुमति के विना भूमि पा सकार भूमि या सामग्रियों से उत्पाद बनाते कार की अनुसान हों होंगी। (श) तथा नहीं की कटाई केंद्रीय या संवंधित राज्य के अधिनियमों और उ			विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीट क्रियाकलामों सिहत अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उ विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुवा होगी:- (i) विद्यमान सहकों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सहकों का संनिर्माण करने की अनुवा होगी:- (ii) बुनियादी डांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण अ नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए उ वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सिहत कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्र वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधा की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बहावा दिए गए क्रियाकलाप । (ग) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिम क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुस् सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और न्यूनतम होंगे। (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुस् विनियमित होंगे।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय र और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्यो जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुकात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई। (क) राज्य सरकार कृषि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों कटाई की अनुवा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उ	9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:
(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण अनविकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए विशेषण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सिहत कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रुवास सिहत पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधा की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ग) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिम क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुस् सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और न्यूनतम होंगे। (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुस् विनियमित होंगे। (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुस् विनियमित होंगे। (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुस् विनियमित होंगे। (घ) स्वरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय ह और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योगों पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुजात होंगे। (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना पूर्मि या सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना पूर्मि या सरकार के अन्वान सूर्मि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों कटाई की अनुजा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्पर्ध कराई की अनुजा नहीं होगी।			
(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्र्वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधा की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ग) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिम क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुस सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और न्यूनतम होंगे। (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुस विनियमित होंगे।  10. गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय उ्योर सेवा उद्योग, कृषि, पृष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्यो जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई वेदीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कि कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनयमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनयमों और उन्हित्त कराई केंद्रिय या संबंधित राज्य के अधिनयमों और उन्हित्त कराई केंद्रीय य			(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और
वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधा की व्यवस्था; और  (४) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप।  (ग) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिम क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुस् सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और न्यूनतम होंगे।  (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुस् विनियमित होंगे।  (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुस् विनियमित होंगे।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय र और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्यो जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना अभूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उत्पाद क्रियां कि स्वर्ध केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उत्पाद क्रियां केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उत्पाद कराई की अनुज्ञा नहीं होगी।			(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की
(ग) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिम क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुस् सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और न्यूनतम होंगे।  (घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचिलक महायोजना के अनुस् विनियमित होंगे।  10. गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय र और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्यो जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्			(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह- वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और
विनियमित होंगे ।  10. गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग। फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय र और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्यो जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना अभूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्			(ग) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे
वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय र और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्यो जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना अ भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन			(घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उन्	10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
1 ' ' '	11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।
अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । 			(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12. फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	12.	वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13. वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।	13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

	(एनटीएफपी) का संग्रह ।	
14.	(एनटाएकपा) का संग्रह विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछा	ने लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को
14.	ावद्युतः आरं संचार टावर लगान, तार-ाबछ। तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	न   लागू  वाधया के अधान  वानयामत हागा   मूामगत कबल  बछान का   बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे व व्यवस्था।	·
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ढ ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे पि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से ग वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	र्म
18.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमा कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरिय दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	,
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारि अपशिष्ट जल/बहिर्म्चाव का निस्सारण ।	त जल निकायों में उपचारित अपिशष्ट जल/बिहर्स्नाव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपिशष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपिशष्ट जल/बिहर्स्नाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग ए निष्कर्षण ।	वं लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कु आदि का निर्माण।	एं समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.स	वर्धित क्रियाकलाप
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

**5.निगरानी समिति-** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:-

1.	जिला कलेक्टर, विरधुनगर	-अध्यक्ष;
2.	राजस्व संभागीय अधिकारी, शिवकाशी	–सदस्य;
3.	जिला राजस्व अधिकारी, विरधुनगर	–सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
5.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक जैवविविधता विशेषज्ञ	–सदस्य;
6.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाल एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषज्ञ	–सदस्य;
7.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
8.	वन्यजीव वार्डन, श्रीविल्लीपुथुर	–सदस्य सचिव।

#### 6 विचारार्थ विषय:-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोडकर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ठ दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- **8.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/10/2018-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'


#### <u>उपाबंध- ।</u>

#### संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन


	<u>सराक्षत क्षत्र के पारिस्थातका संवदा जान का सामा का वणन</u>
उत्तर	श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा मदुरई जिला के मालापुरम भाग में मालापुरम-मयीलादमपराई सड़क से उत्तरी भाग में आरंभ होती है, इसके बाद यह पूर्वी दिशा की ओर मुड़ती है और करीनकुली ओदई-वलुक्कुपराई ओदई जोड़ पहुँचती है; इसके बाद यह दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर और मनालुथु ओदई जोड़ पहुँचती है; इसके बाद पूर्वी दिशा में मुड़कर और एथनामलाई राजस्व करादु के पश्चिम अंत को छूती है; इसके बाद एथनामलाई की सीमा के साथ मुड़कर एथनामलाई के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद दक्षिणी दिशा की ओर मुड़कर और अनाईक्कराईपट्टी टैंक के उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है; इसके उसी की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर और कुम्बमलाई के उत्तर पश्चिम कोण पहुँचती है इसके बाद उस छोटी पहाड़ी की उत्तरी सीमा के साथ मुड़ती है इसके बाद पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर सपतुर टैंक के उत्तर पश्चिम कोण पहुँचती है इसके बाद यह उत्तर पूर्व दिशा कि ओर मुड़कर और सेमपट्टी टैंक के दक्षिण अंत पहुँचती है इसके बाद यह उसी सीमा के साथ मुड़कर और उसी टैंक के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद यह उसी सीमा के साथ मुड़कर और उसी टैंक के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद यह उसी सीमा के साथ मुड़कर और उसी टैंक के उत्तर अंत पहुँचती है और पूर्वी भाग के उसी टैंक से सीमा के साथ मुड़ती है और कनावई में सपतुर पेराईयुर सड़क पहुँचती है।
उत्तर पूर्व	इसके अतिरिक्त, दक्षिण की ओर मुड़कर और चिन्नापुलमपट्टी टैंक के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद टैंक की पूर्वी सीमा के साथ मुड़ती है और सड़क पुनः सपतुर-पेराईयुर सड़क को छूती है और इसके बाद दक्षिण दिशा में मुड़कर और पेराईयुर के निकट मनमलाई पहुँचती है; इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम दिशा मुड़कर और गोवरीमलाई के पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद अंतर जिला सीमा को पार करके उसी दिशा में मुड़ती है और लांदाईकुलम टैंक के उत्तर अंत पहुँचती है।
पूर्व	इसके बाद उसी टैंक की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण दिशा में मुड़कर और उसी टैंक के दक्षिण पश्चिम कोण पहुँचती है। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और कृष्णापुरम के निकट राजस्व करादु के पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद राजस्व करादु के दक्षिण पश्चिम भाग के साथ मुड़कर और इसके बाद पश्चिम दिशा में मुड़ती है और उसी राजस्व करादु के दक्षिण पश्चिम आंग पहुँचती है इसके बाद पश्चिम दिशा में मुड़कर और नेदुनकुट्टम के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद प्रवी दिशा में मुड़कर और कुट्टम के दिशा अंत पहुँचती है; इसके बाद पूर्वी दिशा में मुड़कर और कुनावन्दरी टैंक के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद उसी की पश्चिम सीमा के साथ मुड़ती है इसके बाद उसी की आंग मुड़ती है इसके अतिरिक्त उस टैंक के दक्षिण पश्चिम कोण पहुँच कर पूर्व में उस टैंक के साथ मुड़ती है इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर थनराईकुलम टैंक के उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है। इसके बाद पूर्वी दिशा में मुड़कर सीवानेरी टैंक के उत्तर पश्चिम अंत पहुँचती है; उत्तर और पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर उस टैंक के दक्षिण पूर्व अंत पहुँचती है। यह पूर्वी दिशा में जाकर और विरागासमीथरम टैंक के दक्षिण अंत पहुँचती है। इसके बाद टैंक की पश्चिमी सीमा के साथ मुड़कर और उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर उस टैंक के दक्षिण पूर्व अंत पहुँचती है और इसके बाद पूर्वी दिशा में मुड़कर अरहकापुरम टैंक के उत्तर पश्चिम अंत पहुँचती है इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर और अय्यपकुलम टैंक के उत्तर पश्चिम कोण पहुँचती है इसके बाद टैंक की उत्तर पूर्व सीमा के साथ जाती है इसके बाद टैंक की उत्तर पूर्व सीमा के साथ जाती है इसके बाद टैंक की उत्तर पूर्व सीमा के साथ जाती है इसके बाद टैंक की दक्षिण अंत पहुँचती है। इसके बाद दक्षिणी दिशा की ओर मुड़कर पुदुपट्टी-खन्सापुरम सड़क पहुँचती है और उदईपट्टी आवासीय क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है इसके बाद पुदुपट्टी-शिसापुरम सड़क के साथ मुड़कर और शेसापुरम पहुँचती है इसके बाद शिसापुरम आवासीय क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है इसके बाद पुदुपट्टी-शिसापुरम सड़क के साथ मुड़कर और शेसापुरम पहुँचती है इसके बाद शिसापुरम आवासीय क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है इसके बाद भित्र की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है इसके बाद शिक्त की दक्षिणी सीमापुरम आवासीय क्षेत्र की दक्षिणी सीमापुरम आवासीय केत

दक्षिण पूर्व	सीमा के साथ मुड़ती है इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और कृष्णाकोयल-वट्रेप सड़क पहुँचती है और उसी सड़क के साथ भुड़कर यह सड़क के साथ अभयारण्य सीमा को छूती है इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा और सिरुमलाई के उत्तर पूर्व अंत में मुड़ती है इसके बाद सिरुमलाई की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर उस छोटी पहाड़ी के दक्षिण अंत पहुँचती है; इसके बाद कृष्णकोयल-श्रीविल्लीपुथुर सड़क जोड़ को छूती है। इसके बाद उसी सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और पिल्लाईयारनाथम अवासीय क्षेत्र के उत्तर अंत पहुँचती है इसके बाद वेल्लामादाथु टैंक के दक्षिण पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद उसी टैंक की पूर्वी सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और पिल्लाईयारनाथम आवासीय क्षेत्र के उत्तर पहुँचती है इसके बाद उसी टैंक की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर और थिरुवन्नामलाई टोंक के दक्षिण पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद उस करादु की पूर्व सीमा के साथ दक्षिण दिशा में मुड़ती है उस टैंक के दक्षिण अंत पहुँचती है; इसके बाद पश्चिम दिशा मुड़कर और स्थित छोटी पहाड़ी के उत्तर पूर्व अंत और कोलाईकरन पराई के पूर्व भाग पहुँचती है इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर और लिए होड़ी की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है; इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर और कहाथट्टी राजस्व करादु के उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है; इसके बाद दक्षिण पूर्व सीमा के साथ मुड़कर और मरावनकुलम टैंक के उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद रिजर्व वन की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर इसके बाद वलाईकुलम रिजर्व वन के उत्तर पूर्व अंत पहुँचती है इसके बाद रिजर्व वन की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर इसके बाद स्थिण की ओर मुड़कर सप्पनीपराम्बु रेजर उस रिजर्व वन के दक्षिण पूर्व वन पहुँचती है इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जाकर और चिन्ना पुलपथी पराम्बु के निकट टैंक के उत्तर पूर्व कोण पहुँचती है इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जाकर और विन्ना पुलपथी पराम्बु के निकट टैंक के उत्तर पूर्व कोण पहुँचती है इसके बाद दक्षिण पर्श मिमा के साथ मुड़कर परीवदीयर टैंक के उत्तर पूर्व की है इसके बाद इस टैंक और समीपवर्ती टैंक की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर परीवदीयर टैंक के उत्तर पूर्व की है इसके बाद इस टैंक और सिलामवनेरी टैंक की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर और उत्तरी में के उत्तर पूर्वी है इसके बाद दक्षिण दिशा में मुड़कर और देवादानम टैंक के उत्तर अंतर विंक की दक्षण पूर्
दक्षिण	पश्चिम अंत पहुँचती है। इसके बाद उस टैंक की उत्तर पूर्व सीमा के साथ और देवादानम सस्थाकोयल सड़क को पार करके मुड़ती है
	इसके बाद टैंक की पूर्वी सीमा के साथ मुड़क इसके अतिरिक्त उस टैंक की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम सीमा के साथ जाती है इसके बाद देवअईर नदी को छूती है जो कि अंतर जिला सीमा भी है इसके बाद उसी नदी के साथ पूर्व दिशा की ओर मुड़कर यह अभयारण्य के दक्षिण पूर्व अंत को छूती है।
दक्षिण पश्चिम	श्र्च
पश्चिम	शून्य
उत्तर पश्चिम	शून्य


<u>उपाबंध- ॥क</u> श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



<u>उपाबंध- ॥ख</u> श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध- ॥ग भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र




<u>उपाबंध- ॥घ</u>

#### 10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र



<u>उपाबंध- ॥ड.</u> प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-॥। सारणी कः श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	पिछले बिंदु से दूरी	बियरिंगस
1	मल्लापुरम सड़क प्रवेश	उत्तर	090 49' 43.18"	77º 38' 18.37"		
2	वालाथोपु (मुनेश्वरन पुली)	उत्तर	09º 46' 47.39"	77º 39' 45.25"	5.98	153.69 दपू
3	केनी प्रवेश	उत्तर	09º 46'58.14"	77º40'21.40"	1.86	142.42 दपू
4	तालैमालायान कोइल	उत्तर पूर्व	09º 41'17.16"	77º 42' 10.37"	9.17	159.65 दपू
5	थानिपराय प्रवेश	उत्तर पूर्व	090 42' 3.20"	77º 38' 3.84"	7.67	281.23 प
6	किलवान कोइल	पूर्व	090 38' 42.29"	77º 32' 44.23"	11.39	237.38 प
7	करुप्पासमी कोइल	पूर्व	09º 36' 19.30"	77º 32' 16.48"	4.44	190.87 द
8	कलमानदपम	पूर्व	090 37' 23.20"	77º 36' 1.62"	7.09	73.19 उपू
9	मुनियानदीकोइल	पूर्व	09º 35' 10.79"	77º 41' 0.46"	9.88	114.67 दपू
10	रेंगरकोइल वाटरहोल	दक्षिण पूर्व	090 34' 2.03"	77º 38' 58.31"	4.11	239.31 दप
11	अलगरकोईल प्रवेश	दक्षिण पूर्व	090 33' 17.42"	77º 33' 31.14"	10.08	261.76 प
12	कल्लार नदी	दक्षिण पूर्व	09º 30' 58.46"	77º 30' 12.60"	7.42	235.30 दप
13	अय्यानारकोइल प्रवेश	दक्षिण पूर्व	09º 30' 30.85"	77º 27' 21.64"	5.20	261.05 प
14	थोटीचैम्मन कोइल	दक्षिण पूर्व	09º 27' 35.94"	77º 29' 42.54"	6.45	139.49 दपू
15	पिरावदीयार नदी	दक्षिण पूर्व	09º 27' 1.98"	77º 26' 41.75"	5.56	256.88 दप
16	ससथोकोइविल सड़क प्रवेश	दक्षिण	090 24' 45.90"	77º 23' 54.70"	6.48	230.7 दप
17	देवीयार	दक्षिण	090 23' 40.67"	77º 23' 15.29"	2.24	210.01 दप
18	देवीर एस्टेट के ऊपर अंतरराज्यीय सीमा	पश्चिम	09º 25' 9.08"	77º 20' 24.83"	5.65	296.73 उप
19	कोट्टामालाई शिखर	पश्चिम	09º 31' 14.05"	77º 24' 12.49"	12.90	32.56 उ
20	कम्बाथुमोट्टई कम्बाथुमोट्टई	पश्चिम	090 32' 25.76"	77º 27' 23.36"	6.07	68.02 उपू
21	थोप्पीमलाई	पश्चिम	090 36' 50.29"	77º 29' 16.62"	8.61	23.01 उ
22	पंचानथांगी	पश्चिम	090 42' 53.82"	77º 33' 17.14"	13.0	32.57 उ
23	सिरंगिकल	उत्तर पश्चिम	090 50' 2.98"	77º 37' 36.08"	15.04	30.48 उ

### सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)	पिछले बिंदु से दूरी	बियरिंगस
1	मल्लापुरम माईलुदुमराई सड़क	उत्तर	09º 49' 40.67"	77º 38' 29.10"		
2	करुनकुली ओदई वलुकुपराई ओदई जोड़	उत्तर	09º 49' 25.75"	77º 38' 54.69"	0.90	120.54 दपू
3	ऐथानामलाई उत्तर अंत	उत्तर	09º 48' 15.27"	77º 42' 27.25"	6.8	108.54 दपू
4	अथिपट्टी कनमाई उत्तर अंत	उत्तर	09º 47' 3.00"	77º 46' 28.07"	7.74	106.32 दपू

	I		1	T		1
5	सपतुर-पेरियुर सड़क	उत्तर पूर्व	09º 46' 22.10"	77º 47' 11.94"	1.81	133.0 दपू
	कनावई					
6	मनमलाई पेरियुर के निकट	उत्तर पूर्व	09º 44' 27.74"	77º 47' 21.44"	3.5	175.68 द
7	गोवरीमलाई पश्चिम अंत	उत्तर पूर्व	09º 44' 2.64"	77º 46' 47.72"	1.29	234.28 दप
8	लांदाईकुलम टैंक उत्तर अंत	उत्तर पूर्व	09º 40' 27.02"	77º 42' 51.65"	9.68	227.67 दप
9	नेदुनकुट्टुम दक्षिण पश्चिम अंत	उत्तर पूर्व	09º 39' 56.81"	77º 36' 5.28"	12.42	266.08 प
10	विरागासामुथिराम टैंक पूर्व अंत	उत्तर पूर्व	09º 37' 33.11"	77º 36' 43.44"	4.62	164.71 दपू
11	कृष्णाकोयल जंक्शन	उत्तर पूर्व	090 33' 54.75"	77º 41' 20.42"	10.61	128.30 दपू
12	थिरुवनामलाई दक्षिण अंत	पूर्व	09º 32' 27.27"	77º 37' 5.33"	8.18	251.33 दप
13	वलाईकुलम उत्तर अंत	दक्षिण	09º 31' 21.85"	770 34' 1.42"	5.81	250.37 दप
14	सुनदराजापुरम टैंक दक्षिण अंत	दक्षिण	09º 26' 26.07"	77º 29' 36.70"	12.29	220.57 दप
15	पिरावादियार टैंक दक्षिण पश्चिम अंत	दक्षिण	09º 24' 45.88"	77º 27' 32.42"	4.72	232.27 दप
16	देवदानम टैंक दक्षिण अंत	दक्षिण	090 22' 52.90"	77º 26' 37.86"	3.75	203.69 दप
17	देवियर रिजर्व वन (जोड़) सीमा	दक्षिण	09º 23' 41.42"	77º 23' 12.81"	6.39	283.73 उप

उपाबंध-IV भू-निर्देशांकों के साथ श्रीविल्लीपुथुर ग्रिज़्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील/तालुक	जिला	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	माल्लापुरम	<u> </u>	मदुरई	09 82 54	77 64 24
2	अय्यामपट्टी	पेरियुर	मदुरई	09 80 37	77 63 25
3	थुल्लुकुट्टीनाकियनुर	पेरियुर	मदुरई	09 78 65	77 66 25
4	विट्टालपट्टी	पेरियुर	मदुरई	09 77 34	77 67 95
5	वनदारी	पेरियुर	मदुरई	09 76 47	77 69 85
6	नगाईयापुरम	पेराईयुर	मदुरई	09.76 63	77.73 20
7	सपतुर	पेराईयुर	मदुरई	09.76 82	77.73 81
8	परईपट्टी	पेराईयुर	मदुरई	09.70 90	77.77 12
9	एस. कीलापट्टी	पेराईयुर	मदुरई	09.69 92	77.76 12
10	संथाईयुर	पेराईयुर	मदुरई	09.70 20	77.75 19
11	अयारथारमाम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.67 49	77.73 26
12	एलानथाईकुलम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.66 21	77.70 77
13	कोट्टाईयुर	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.64 96	77.70 23
14	थामबीपट्टी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.65 85	77.66 80
15	महाराजापुरम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.65 66	77.66 37
16	एस. कोदीकुलम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.64 70	77.58 64

17	खानसापुरम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.62 81	77.60 38
18	बट्रेप	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.63 52	77.64 15
19	डब्लयू. पुदुपट्टी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.61 50	77.63 82
20	सुनदरापंदियम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.61 20	77.67 55
21	पूवानी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.53 96	77.67 47
22	पिल्लाईयारनाथम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.54 96	77.65 90
23	थेईवेनथीरी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09.54 18	77.55 99
24	मामसापुरम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 52 56	77 56 16
25	वलाईकुलम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 51 72	77 52 13
26	वद्दुकुवेनगनाल्लुर	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 50 14	77 47 65
27	थेरुक्कुवेनगनाल्लुर	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 50 40	77 46 64
28	थिरुचुलुर	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 48 90	77 47 09
29	सम्मानथापुरम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 48 44	77 48 82
30	सोलाईसेरी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 44 84	77 49 36
31	सुनदराजाजौराम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 43 33	77 47 30
32	सैथुर मेट्टुपट्टी	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 41 71	77 44 07
33	मुथुसामयीपुरम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 41 03	77 43 78
34	उत्तर देवदानम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 30 42	77 43 59
35	दक्षिण देवदानम	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 39 67	77 43 41
36	कोविलुर	श्रीविल्लपुथुर	विरुधुनगर	09 39 15	77 43 36

#### उपाबंध-V

#### पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति-की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
- 6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2018

**S.O.** 3363(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: -esz-mef@nic.in

#### **Draft Notification**

**WHEREAS**, the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary lies in the Western Ghats falling in the revenue districts of Virudhunagar and Madurai between 09° 23' 37.77" to 09° 47' 48.74" N latitude and between 77° 20' 24.68" to 77° 47' 17.50" E longitude in the State of Tamil Nadu. The area was declared as a sanctuary in G.O. Ms. 399 Environment and Forests (FR.V) dated. 26-12-1988 with a total area of **476.65 Sq km**, consisting Reserved Forests in Rajapalayam and Srivilliputhur Taluk of Viruhudnagar District and Saptur R.F in Peraiyur Taluk of Madurai District with the sanctuary headquarters at Srivilliputhur.

AND WHEAREAS, the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary is the meeting place of two distinct geographical regions of bio diversity landscape Western Ghats of Tamilnadu and Kerala. It is an important landscape for elephant conservation programme in Periyar Elephant Reserve. Owing to its large contiguous forests and connectivity with adjoining protected areas, this wildlife sanctuary has wide varieties of endangered species such as Grizzled Squirrel, Elephant, Tiger, Leopard, Nilgiri Tahr, Gaur, Lion Tailed Macaque etc,. The diversity of habitat has got an assemblage of several species of rare plants, invertebrates, fishes, amphibians, and reptiles. Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary has also got several species of endemic flora and fauna.

**AND WHEAREAS,** the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary consists of various forest habitats like thorn forest, moist deciduous, dry deciduous, Semi evergreen, riverine forest, Grassland habitat and evergreen forest habitat. A wide variety of habitats can be seen from western to eastern part of the sanctuary. There is a rainfall gradient from west to east and the change in vegetation is believed to be as result of rainfall gradient. The eastern part of this sanctuary falls in the rain shadow region of Western Ghats. This region has got dry thorn forest and the vegetation type gradually changes from dry thorn forest to mixed moist forests.

AND WHEAREAS, the sanctuary has wide variety of flora and fauna. Examples of flora are Kundumani (Abrus precatorius L.), Siruthuthi (Abutilon crispum (L.) Medikus), Thuthi (Abutilon indicum (Link) Sweet.), Kari indu (Acacia intsia W & A), Karuvelam (Acacia nilotica (L.) Wild. ex Delile), Silavagai (Acacia Sundra), Enkai (Indu) (Acacia torta) etc. and example of fauna are Nilgiri tahr (Hemitragus hylocrius), Grizzled Giant squirrel (Ratufa macroura), Malabar giant squirrel (Ratufa indica), Asian elephant (Elephas maximus), Gaur (Bos frontalis), Chital (Axis axis), Sambar (Cervus unicolor), Barking deer (Muntiacus muntjak), Mouse deer (Moschiola meminna), Jackal (Canis aureus) etc.

**AND WHEAREAS,** the avian diversity is wide and varied, around 220 species of birds of 61 families were identified in the first survey during December 2012 and 27 species were added during the survey of May 2015. The notable speices are the rare Ceylon frogmouth, hitherto considered to be present only in parts of Kerala like Thattekad, Yellow throated bull bull hitherto considered to be eastern ghats specific, Malabar trogon and Indian cukoo, Nineteen species of raptors indicating the potential of the habitat which has been underlined by sighting of Rufuous bellied hawk eagle and Mountain hawk eagle.

**AND WHEAREAS,** some example of birds recorded in the sanctuary are Grey Francolin (*Francolinus pondicerianus*), Jungle Bush Quail (*Perdicula asiatica*), Red Spurfowl (*Galloperdix spadicea*), Grey

Junglefowl (Gallus sonneratii), Indian Peafowl (Pavo cristatus), Lesser Whistling Teal (Dendrocygna javanica), Bar-headed Goose (Anser indicus), Brahminy Duck (Tadorna ferruginea), Spot-billed Duck (Anas boacilorhyncha) etc.

AND WHEAREAS, the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary is home to an amazing number of Butterflies. The presence of Butterflies is a bio-indicator of the health of the ecosystem in general and the micro-habitat in particular. Srivilliputhur Wildlife Division scores high on this scale as recent studies have unearthed about 190 species of Butterflies, which is more than half of the numbers recorded in Tamil Nadu. Examples of Butterflies are Common Blue bottle (*Graphium sarpedon*), Common jay (*Graphium doson*), Tailed jay (*Graphium Agamemnon*), sot swordtail (*Graphium nomius*), Common mime (*Papilio clytia*), Common mormon (*Papilio polytes*) etc.

AND WHEAREAS, about 90 Reptiles species are enlisted from the sanctuary. Non venomous like Python, Sand boa, Kukri, cat snake, vine snake etc., and Venomous snakes Copra, Viper, Krait are reported. The endemic to India and threatened species of Star Tortoise are present at Sanctuary. *Eugenia discifera* is a highly endangered tree species is recorded above the Deviar estate adjoining the Kerala State boundary. Examples of vulnerable species present in sanctuary include *Begonia albo-coccinea* Hook, *Commelina indehiscens* E. Barnes, *Ixora monticola* Gamble, *Chloroxylon swietenia* DC. and *Pterocarpus marsupium* Roxb etc.

**AND WHEAREAS,** in most of the villages which falls in eco sensitive zone, residential areas are carefully excluded from eco sensitive zone. However the residential areas of tribal hamlets (Shenbagathoppu, Ayyanarkoil, Athikoil, Vinobanagar, Thaniparai and Mokkathanparai) are located within Eco sensitive zone. The total population in Eco sensitive zone is 608. Agriculture and allied activities such as live stock rearing, poultry are the major sources of economy for the people living in the proposed Eco sensitive zone.

**NOW THEREFORE**, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from zero **kilometres** (**due to Inter-state boundary**) **to 6.2 kilometres** around the boundary of Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Ecosensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero **kilometers (due to Inter-state boundary) to 6.2 kilometers** around the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is **305.86 square kilometres**.
- (2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I.**
- (3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-E.**
- (4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III** (**A**) **and** (**B**) respectively.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. -** (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:
  - (i) Environment;
  - (ii) Forest and Wildlife;

- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panjayati Raj;
- (xi) Public Works Department;
- (xii) Highways;
- (xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

#### (1) Land use. -

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
  - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
  - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
  - (iii) Small scale industries not causing pollution;
  - (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
  - (v) Promoted activities and given in paragraph 4;

- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies. The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

#### (3) Tourism/ Eco-tourism

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
  - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
  - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on ecotourism;
  - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution. -** The Environment Department of the State Government or Tamil Nadu State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes. Disposal and Management of solid wastes shall be as under:
- (a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste. -** Bio-medical waste management shall be as under:
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March,2016 as amended from time to time.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management.** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management.** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste**. The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic**. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.
- (15) **Vehicular Pollution.** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:
- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

#### 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE** 

Sl.No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Pro	phibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad vz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and dated 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted.  Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Re	gulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.  Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

		(b) Provided that, local people shall be permitted to undertake
		construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:
		(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new road.
		(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
		(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;
		(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification.
		(c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations if any.  (d) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of Trees.	<ul><li>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</li><li>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</li></ul>
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and

	land area.	reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Pro	omoted Activities
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

#### 5. Monitoring Committee-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), comprising of the following namely:-

1.	The District Collector, Virdhunagar	Chairman
2.	Revenue Divisional Officer, Sivakasi	Member
3.	District Revenue officer, Virdhunagar	Member
4.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member
5.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member
6.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member
7.	A representative from State Public Works Department	Member
8.	Wildlife Warden, Srivilliputhur	Member Secretary

#### 6. Terms of Reference. -

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/10/2018-ESZ] LALIT KAPUR, Scientist 'G'

#### **ANNEXURE-I**

#### BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	The Eco sensitive zone boundary for Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary in the northern side starts from Mallapuram - Mayiladumparai Road in Mallapuram side of Madurai District, then it moves eastern direction and reaches Karunkuli odai – Valukkuparai odai joint; then it moves southern and south eastern direction and reaches Manaluthu odai joint; then move in eastern direction and touches west end of the Ethnamalai Revenue karadu; then move along the boundary of the Ethnamalai reaches north end of the Ethnamalai then move towards southern direction and reaches north east end of the Anaikkaraipatti tank; then move along the eastern boundary of the same and move further reaches north west corner of Kumbamalai then move along the north boundary of same hillock then move towards eastern direction reaches north west corner of the Saptur tank then move along the boundary of the Saptur tank and reaches south east end of the tank then it move towards north east direction and reaches south end of the Sempatti tank then it move along boundary of the same and reaches north end of same tank and move along the boundary from the same tank of the east side and reaches Saptur Peraiyur road at Kanavai.
North East	Further then move towards south and reaches north end of Chinnapulampatti tank them move along eastern boundary of the tank and touches the saptur – Peraiyur road again road and then move in south direction and reaches Manmalai near Peraiyur; further move in south west direction and reaches east end of the Gowrimalai then move further in same direction crosses inter district boundary and reaches north end of the Ilandaikulam tank.

#### **East** Then further move in south direction along east boundary of the same tank and reaches south west corner of the same tank. Then the move towards west direction and reaches east end of the revenue karadu near Krishnapuram then move along the south west side of the revenue karadu and then further move in the west direction and reaches south west end of the same revnue karadu then move west direction and reaches the north end of the Nedunkuttam then move along western boundary of the same and reaches south end of the kuttam; then move in eastern direction and reaches north end of Kunavandri tank then move towards south direction along the boundary of the same tank further a move along the same tank in east reaches south west corner of the same tank then move towards south direction reaches the north east end of Thamaraikulam tank. Then move easten direction reaches north west end of the Seevaneri tank; Move along the north and eastern boundary reaches south east end of the same tank. It run in eastern direction and reaches south end of the Viragasamithram tank. Then move along western boundary of the tank and reaches north end of the tank then further move along the eastern boundary reaches the southeast end of the same tank and then move in eastern direction reaches north west end of the Arhcapuram tank then move north east direction and reaches as north west corner of the Ayyarkulam tank then run along north east boundary of the tank then reaches south end of the tank; then move towards east direction reaches south end of the Archanapuram tank. Then move towards southern direction reaches Pudupatti -Khnsapuram road and run along the southern boundary of the Udaipatti residential area then move along the Pudupatti -Shesapuram road and reaches as Sheapuram then move along southern boundary of Shesapuram residential area then move towards north direction and reaches Krishnankoil – Watrap road and move along the same road till it touches sanctuary boudanry along the road then move in south east direction and north east end of the sirumlai then move along the eastern boundary of the sirumalai reaches south end of the same hillock; Then it touches Krishnkoil - Srivilliputur Road joint. **South East** Then and move along the same road till it reaches Pillaiyarnatham road and then move west direction along the Pillaiyarnatham road and reaches the north end of the Pillaiyarntham residential area then reaches the south east end of the Vellamadathu tank then move along the eastern boundary of the same tank and reaches north east corner of Thiruvannamalai revenue karadu then move towards the south direction along the east boundary of the same karadu and further move in south direction along the east boundary of Thiruvannamalai tank reaches south end of the same tank; then move in west direction and reaches north east end of the hillock located and east side of the Kolaikaran parai then move along eastern boundary of the same hillock reaches south east end of the same; then move towards southern direction and reaches north east end Kuttathatti renvenu kardu move along the eastern boundary of the same karadu and reaches north east end of the Maravankulam tank then move along the east and south east boundary then reaches north east end of Valaikulam RF then move along eastern boundary of the RF further move southwards reaches the north east end Sappaniparambu RF then move along eastern boundary Sapaaniparabu RF and reaches south east end the same RF then further south direction and reaches north east corner of tank near Chinna Pulpathy parambu then move along the eastern boundary of the tank and adjacent tank and reaches the south end of the adjacent tank. Then move towards south west direction and reaches the northern end of Privadiyar tank then move along eastern boundary of the this tank and silambaneri tank and reaches the southeast end of the same tank; then move in south direction and reaches north west end of Devadanam tank. South Then move along north east boundary same tank and crosses Devadam Sasthakoil road then move along the eastern boundary of the tank further run along south and south west boundary of the same tank then touches Devaiar river which is also inter district boundary then further move east direction along the same river it till it reaches south east end of the sanctuary. **South West** Nil

Nil

Nil

West


**North West** 

# ANNEXURE- IIA GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE SANCTUARY




#### **ANNEXURE- IIB**

## GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE SANCTUARY




## $\underline{\text{ANNEXURE- IIC}}$ MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE




#### **ANNEXURE- IID**

## LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER



#### **ANNEXURE- IIE**

## MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



#### **ANNEXURE-III**

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary, Tamil Nadu

S.No.	Identification of prominent Point	Location/ Direction of prominent points	Latitude(N)	Longitude(E)	Distance from previous point	Bearings
1	Mallapuram Road Entrance	North	09° 49° 43.18″	77° 38' 18.37"		
2	Valaithoppu (Munneeswaran puli )	North	09 <sup>0</sup> 46' 47.39"	77 <sup>0</sup> 39' 45.25"	5.98	153.69 SE
3	Keni Entrance	North	09 <sup>0</sup> 46' 58.14"	77 <sup>0</sup> 40' 21.40"	1.86	142.42 SE
4	Talaimalayan Koil	North east	09 <sup>0</sup> 41' 17.16"	77 <sup>0</sup> 42' 10.37"	9.17	159.65 SE
5	Thaniparai Entrance	North east	09 <sup>0</sup> 42' 3.20"	77 <sup>0</sup> 38' 3.84"	7.67	281.23 W
6	Kilavan Koil	East	09 <sup>0</sup> 38' 42.29"	77 <sup>0</sup> 32' 44.23"	11.39	237.38 W
7	Karuppasamy Koil	East	09 <sup>0</sup> 36' 19.30"	77 <sup>0</sup> 32' 16.48"	4.44	190.87 S
8	Kalmandapam	East	09 <sup>0</sup> 37' 23.20"	77 <sup>0</sup> 36' 1.62"	7.09	73.19 NE

	1	1	0		1	
9	Muniyandikoil	East	09 <sup>0</sup> 35' 10.79"	77° 41' 0.46"	9.88	114.67 SE
10	Rengarkoil waterhole	South east	09 <sup>0</sup> 34' 2.03"	77 <sup>0</sup> 38' 58.31"	4.11	239.31 SW
11	Alagarkoil Entrance	South east	09 <sup>0</sup> 33' 17.42"	77 <sup>0</sup> 33' 31.14"	10.08	261.76 W
12	Kallar river	South east	09° 30' 58.46"	77 <sup>0</sup> 30' 12.60"	7.42	235.30 SW
13	Ayyanarkoil Entrance	South east	09° 30' 30.85"	77 <sup>0</sup> 27' 21.64"	5.20	261.05 W
14	Thottichiamman koil	South east	09° 27' 35.94"	77° 29' 42.54"	6.45	139.49 SE
15	Piravadiyar river	South east	09° 27' 1.98"	77 <sup>0</sup> 26' 41.75"	5.56	256.88 SW
16	Sasthakoivil Road Entrance	South	09° 24′ 45.90″	77° 23' 54.70"	6.48	230.7 SW
17	Deviyar	South	09 <sup>0</sup> 23' 40.67"	77 <sup>0</sup> 23' 15.29"	2.24	210.01 SW
18	Interstate Boundary Above Deviar estate	West	09° 25′ 9.08″	77° 20° 24.83"	5.65	296.73 NW
19	Kottamalai Peak	West	09 <sup>0</sup> 31' 14.05"	77 <sup>0</sup> 24' 12.49"	12.90	32.56 N
20	Kambathumottai	West	09° 32' 25.76"	77 <sup>o</sup> 27' 23.36"	6.07	68.02 NE
21	Thoppimalai	West	09 <sup>0</sup> 36' 50.29"	77 <sup>0</sup> 29' 16.62"	8.61	23.01 N
22	Panchanthangi	West	09 <sup>0</sup> 42' 53.82"	77 <sup>0</sup> 33' 17.14"	13.0	32.57 N
23	Sirangikal	North west	09 <sup>0</sup> 50' 2.98"	77 <sup>0</sup> 37' 36.08"	15.04	30.48 N

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S. No.	Identification of prominent Point	Location/ Direction of prominent points	Latitude(N)	Longitude(E)	Distance from previous point	Bearings
1	Mallapuram Mayiludumarai road	North	09 <sup>0</sup> 49' 40.67"	77 <sup>0</sup> 38' 29.10"		
2	Karunkuli odai Valukuparai odai joint	North	09° 49' 25.75"	77° 38' 54.69"	0.90	120.54 SE
3	Eathanamalai North end	North	09° 48' 15.27"	77 <sup>0</sup> 42' 27.25"	6.8	108.54 SE
4	Athipatti kanmai north end	North	09 <sup>0</sup> 47' 3.00''	77 <sup>0</sup> 46' 28.07''	7.74	106.32 SE
5	Saptur –Periyur Road Kanavai	North east	09 <sup>0</sup> 46' 22.10"	77 <sup>0</sup> 47' 11.94"	1.81	133.0 SE
6	Manmalai Near Periyur	North east	09 <sup>0</sup> 44' 27.74"	77 <sup>0</sup> 47' 21.44''	3.5	175.68 S
7	Gowarimalai West end	North east	09° 44' 2.64"	77 <sup>0</sup> 46' 47.72"	1.29	234.28 SW
8	Ilanthaikulam tank north end	North east	09° 40' 27.02"	77° 42' 51.65"	9.68	227.67 SW
9	Nedunkutttum South west end	North east	09 <sup>0</sup> 39' 56.81"	77° 36′ 5.28″	12.42	266.08 W
10	Viragasamuthiram tank east end	North east	09 <sup>0</sup> 37' 33.11"	77° 36' 43.44"	4.62	164.71 SE
11	Krishanankoil Junction	North east	09 <sup>0</sup> 33' 54.75"	77° 41' 20.42"	10.61	128.30 SE
12	Thiruvanamalai South end	East	09° 32' 27.27"	77 <sup>0</sup> 37' 5.33"	8.18	251.33 SW
13	Valaikulam north end	South	09° 31' 21.85"	77 <sup>0</sup> 34' 1.42"	5.81	250.37 SW
14	Sundarajapuram tank south end	South	09° 26' 26.07"	77° 29' 36.70"	12.29	220.57 SW
15	Piravadiyar tank south west end	South	09° 24′ 45.88″	77° 27' 32.42"	4.72	232.27 SW
16	Devadanam tank south end	South	09° 22' 52.90"	77° 26' 37.86"	3.75	203.69 SW
17	Deviar RF ( joint ) Boundary	South	09° 23′ 41.42″	77 <sup>0</sup> 23' 12.81"	6.39	283.73 NW

ANNEXURE-IV
LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SRIVILLIPUTHUR
GRIZZLED SQUIRREL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Village name	Teshil / Taluka	District	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Mallapuram	Periyur	Madurai	09 82 54	77 64 24
2	Ayyampatti	Periyur	Madurai	09 80 37	77 63 25
3	Thullukuttinakiynur	Periyur	Madurai	09 78 65	77 66 25
4	Vittalpatti	Periyur	Madurai	09 77 34	77 67 95
5	Vandari	Periyur	Madurai	09 76 47	77 69 85
6	Nagaiyapuram	Peraiyur	Madurai	09.76 63	77.73 20
7	Saptur	Peraiyur	Madurai	09.76 82	77.73 81
8	Paraipatti	Peraiyur	Madurai	09.70 90	77.77 12
9	S.Keelapatti	Peraiyur	Madurai	09.69 92	77.76 12
10	Santhaiyur	Peraiyur	Madurai	09.70 20	77.75 19
11	Ayartharmam	Srivillputtur	Virudhunagar	09.67 49	77.73 26
12	Elanthaikulam	Srivillputtur	Virudhunagar	09.66 21	77.70 77
13	Kottaiyur	Srivillputtur	Virudhunagar	09.64 96	77.70 23
14	Thambipatti	Srivillputtur	Virudhunagar	09.65 85	77.66 80
15	Maharajapuram	Srivillputtur	Virudhunagar	09.65 66	77.66 37
16	S.Kodikulam	Srivillputtur	Virudhunagar	09.64 70	77.58 64
17	Khansapuram	Srivillputtur	Virudhunagar	09.62 81	77.60 38
18	Watrap	Srivillputtur	Virudhunagar	09.63 52	77.64 15
19	W.Pudupatti	Srivillputtur	Virudhunagar	09.61 50	77.63 82
20	Sundarapandiam	Srivillputtur	Virudhunagar	09.61 20	77.67 55
21	Poovani	Srivillputtur	Virudhunagar	09.53 96	77.67 47
22	Pillaiyarnatham	Srivillputtur	Virudhunagar	09.54 96	77.65 90
23	Theiventhiri	Srivillputtur	Virudhunagar	09.54 18	77.55 99
24	Mamsapuram	Srivillputtur	Virudhunagar	09 52 56	77 56 16
25	Valaikulam	Srivillputtur	Virudhunagar	09 51 72	77 52 13
26	Vaddukuvenganallur	Srivillputtur	Virudhunagar	09 50 14	77 47 65
27	Therukkuvenganallur	Srivillputtur	Virudhunagar	09 50 40	77 46 64
28	Thiruchulur	Srivillputtur	Virudhunagar	09 48 90	77 47 09
29	Sammanthapuram	Srivillputtur	Virudhunagar	09 48 44	77 48 82
30	Solaiseri	Srivillputtur	Virudhunagar	09 44 84	77 49 36
31	Sundararajauram	Srivillputtur	Virudhunagar	09 43 33	77 47 30
32	Seithur Mettupatty	Srivillputtur	Virudhunagar	09 41 71	77 44 07
33	Muthusamyiapuram	Srivillputtur	Virudhunagar	09 41 03	77 43 78
34	North Devadanam	Srivillputtur	Virudhunagar	09 30 42	77 43 59
35	South Devadanam	Srivillputtur	Virudhunagar	09 39 67	77 43 41
36	Kovilur	Srivillputtur	Virudhunagar	09 39 15	77 43 36

Annexure -V

#### Eco-sensitive Zone Monitoring Committee - Performa of Action Taken Report.-

- 1. Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
  - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.